

क्रमांक: प.1(7)खान/मुप-1/2012

राजस्थान सरकार  
खान (ग्रुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक: 06 JUN 2021

आदेश

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित सहायक खनि अभियंता को उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से खनि अभियंता के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

वर्ष 2011-12(रिव्यू)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी
1.	श्री महेश शर्मा	सामान्य
2.	श्री एस.एन.कुमावत	सामान्य
3.	श्री खेमचन्द गोयल	सामान्य

वर्ष 2013-14(रिव्यू)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी
1.	श्री दीपक गहलोत	सामान्य
2.	श्री धर्मेन्द्र भाम्भू	सामान्य
3.	श्री विजय शंकर जयपाल	अ.जा.
4.	श्री अनुज गोयल	सामान्य
5.	श्री श्रीकृष्ण शर्मा	सामान्य
6.	श्री आसिफ मोहम्मद अंसारी	सामान्य

वर्ष 2014-15(रिव्यू)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी
1.	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा	सामान्य
2.	श्री जिनेश हुमड	सामान्य

उक्त अधिकारीगण यथावत अपने कार्यस्थल पर पूर्व की भांति कार्यरत रहेंगे। वर्ष 2014-15 (रिव्यू) में क्र.सं. 1 पर अंकित श्री सुरेशचन्द्र शर्मा के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। अतः पदस्थापन आदेश जारी होने के उपरांत ही पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण किया जायेगा।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

आज्ञा से

—Sd—  
( नीतू बारूपाल )  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव